न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–278/97

हशमत अली बनाम मो० जमा

26.04.2019

पत्रावली पेश हुई।

वादी के विधिक वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र क–110 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में वादी श्रीमती मरियम बेवा हशमत का देहान्त दिनांक 24.06.2017 को हो गया है तथा प्रार्थी उनका पुत्र है तथा उक्त वाद में पहले से ही पक्षकार है। प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता का देहान्त होने के कारण समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः प्रार्थी धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आधारों पर वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क–110 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी